रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2017/माघ 4, 1938
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2017/MAGHA 4, 1938

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 66(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 9 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 1077 (अ) के द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां तारीख 18 नवम्बर, 2016 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थी;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (प्रथम संशोधन), नियम, 2017 है

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में,-

(1) नियम 133ख में,-

(क) उप- नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित पाठ प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात्:—

"(3) जहां आवश्यक समझा जाए, वहां उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन सूचीबद्ध एक या अधिक क्रियाकलापों में लगा कोई संगठन या व्यक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्रणाली के अधीन संचालन करेगा। इस प्रकार के अनुमोदन के लिए महानिदेशक से अनुरोध उसी फार्म और तरीके से किया जाए जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो। अनुरोध प्राप्त होने पर, महानिदेशक यह समाधान होने पर कि आवेदक ने विशिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, अनुमोदन प्रदान करेंगे। यह अनुमोदन ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगा जैसा कि विनिर्दिष्ट हों।"

(ख) उप-नियम (3क) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात:-

''(3ख) कोई अनुमोदित संगठन या व्यक्ति किसी भी समय अपने कार्य के विस्तार के लिए महानिदेशक से संपर्क कर सकेगा और इस बात का समाधान होने पर कि विशिष्ट अफेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, महानिदेशक अनुरोध किए गए कार्यक्षेत्र विस्तार अथवा एक विशिष्ट स्तर तक, जो वे ठीक समझें, अनुमोदन प्रदान कर सकेंगे। इस उप-नियम के अधीन प्राप्त कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए अनुमोदन, केवल मूल अनुमोदन की विधिमान्यता की तारीख तक ही वैध होगा।''

(2) नियम 133ग में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

(i) उप-नियम (i) में ''25,000/- रु.'', शब्दों और अंकों के स्थान पर ''2,00,000/- रु.'', शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) उप-नियम (ii) में ''50,000/- रु..'', शब्दों और अंकों के स्थान पर ''4,00,000/- रु.'', शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(iii) उप-नियम (iii) में ''1,00,000/- रु.'', शब्दों और अंकों के स्थान पर ''8,00,000/- रु.'', शब्दों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-नियम (2) में ''नवीकरण'' शब्द के स्थान पर, ''नवीकरण अथवा कार्यक्षेत्र विस्तार शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ग) उप-नियम (2क), में ''एक लाख'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. ए.वी.11012/3/2014-ए]

अरूण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना सं. वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 15 दिसंबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 1156(अ) द्वारा 20 दिसम्बर, 2016 को किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2017

G.S.R. 66(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1077(E), dated 9th November, 2016, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 18th November, 2016;

And whereas no objections or suggestions were received in respect of the draft rules within the period specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: ―

1. (1) These rules may be called the Aircraft (First Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937,—

(1) in rule 133B,—

(a) for sub-rule (3), the following text shall be substituted, namely:-

"(3) Where considered necessary, an organisation or a person engaged in one or more of the activities listed under clause (a) of sub-rule (1) shall operate under asystem of approval as specified by the Director-General. The request for such approval shall be made to the Director-General in such form and manner as may be specified and on receipt of request, the Director-General may grant the approval on being satisfied that the applicanthas complied with specific requirements. The approval shall be subject to such terms and conditions as may be specified."

(b) after sub-rule (3A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3B) An approved organization or a person may approach to the Director-General at any time for extension of the scope of his work and the Director-General, on being satisfied that the specified requirements have been complied with, may grant approval for extension of scope as requested, or to a specific level, as deemed fit. The approval of the extension of scope, if any, granted under this sub-rule, shall be valid only up to the date of validity of the original approval."

(2) in rule 133C,—

(a) in sub-rule (1),—

(i) in clause (i), for the word and figures, "Rs. 25,000/-", the word and figures, "Rs. 2,00,000/-" shall be substituted;

(ii) in clause (ii), for the word and figures, "Rs. 50,000/-", the word and figures, "Rs. 4,00,000/-" shall be substituted;

(iii) in clause (iii), for the word and figures, "Rs. 1,00,000/-", the word and figures, "Rs. 8,00,000/-" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the word, "renewal", the words, "renewal or extension of scope" shall be substituted;

(c) in sub-rule (2A), for the words, "one lakh", the words, "two lakhs" shall be substituted.

[F. No. AV.11012/3/2014-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and were last amended *vide* GSR 1156(E), dated 15th December, 2016 published in Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India on 20th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.25 22:39:02 +05'30'